

मु० नम्बर.....किस्म.....

उमवान.....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

दिनांक	फर्द अहकाम
--------	------------

18 ¹⁰/₂₅

पत्रावली पेश ~~है~~ ~~आवाज~~ ~~डिलाने~~ ~~पर भी~~ ~~साथ~~ ~~अधिकार~~ ~~उप~~
 नही ~~है~~। अतः मु. नं. ५२/२०१३ उमवान
 हरेडे आदि वनाम्-संकाड त्वायनां प
 अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेन्ड
 रेवेन्यू सेक्ट. वाकत इन्हाज डुरुस्ती अरम
 पैरवी अरम हाजिरी में धारिज किया जाता
 है। पत्रावली कैसल शुमार होड बाड तकगील
 में से कम की जाऊड पुल रावे के साथ
 शामिल मिसल रहे।

आदेशा खुले न्यायालय में
 सुनाया गया।
 उपखण्ड अधिकारी
 हिण्डौन सिटी (करौली)

दिनांक 18/10/2013
 उपखण्ड अधिकारी
 हिण्डौन सिटी (करौली)

१३/१०/१३

उपखण्ड अधिकारी
 हिण्डौन सिटी (करौली)